#28
119

संख्या / /V-2014–22(एन0एल0)/2013.

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

आवास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 01 सितम्बर, 2014.

विषयः ग्राम रम्पुरा में पुराना जिला चिकित्सालय (जवाहर नेहरू जिला चिकित्सालय) किच्छा रोड़, रूद्रपुर के कब्जे में मौके पर कुल 2234.78 वर्ग मीटर रिक्त नजूल भूमि सेवानिवृत्त सैनिको हेतु स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ईसीएचसी पालीक्लीनिक (स्वास्थ्य केन्द्र) एवं सीएसडी कैन्टीन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 24/25–नजूल/2013 दिनांक 20 जुलाई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सेवानिवृत्त सैनिको हेतु स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ईसीएचसी पालीक्लीनिक (स्वास्थ्य केन्द्र) एवं सीएसडी कैन्टीन के निर्माण हेतु 2234.78 वर्ग मीटर नजूल भूमि को नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 4(घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री आर0पी0सिंह, ले0कर्नल(रिटायर्ड) ओ0आई0सी ई0सी0एच0एस0 पॉली क्लीनिक, टॉईप 'डी' जिला सैनिक कल्याण ऑफिस कम्पाउंड, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर के अनुरोध के दृष्टिगत रक्षा विभाग को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1–भूमि हस्तांतरण से पूर्व प्रस्तावित भूमि का वर्तमान सर्किल दर पर निर्धारित मूल्य आवंटी द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2–भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

3–हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये तो उसके लिए आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन से पुनः सहमति प्राप्त करनी होगी।

4–यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो यह आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5–जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6–जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरांत यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो इसकी सूचना आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उसे वापस लाने का अधिकार होगा।

7–प्रश्नगत भूमि वन से आच्छादित होने अथवा वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या 114 (1)/V-2014–22(एन0एल0)/2013.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–अपर जिला मजिस्ट्रेट(नजूल), उधमसिंहनगर।
3–अनु सचिव, चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5–श्री आर0पी0सिंह, ले0कर्नल(रिटायर्ड) ओ0आई0सी ई0सी0एच0एस0 पॉली क्लीनिक, टॉईप 'डी' जिला सैनिक कल्याण ऑफिस कम्पाउंड, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव।